

बिहार

सरकार



कृषि

विभाग

प्रेस नोट

(दिनांक 08.04.2020)

सचिव, कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉ० एन० सरवण कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि मटन, चिकन, अंडा और मछली खाने से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होता है। मुर्गी, मांस, मछली एवं अंडा खाने से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। मुर्गी, मछली, अंडा, मांस आदि के न खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। चिकन खाने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि सोशल मीडिया में चलने वाले किसी भी फेक न्यूज के भूलावे में न आयें।

उन्होंने विश्व एवं राष्ट्रीय स्तर के चुनिंदा संस्थानों के द्वारा इस संबंध में जारी सलाहों का भी हवाला दिया। भारतीय चिकित्सा परिषद् के द्वारा चिकन खाने की सलाह दी गई है। साथ ही चिकन प्रोटीन को सबसे सुरक्षित एवं सस्ता स्रोत बतलाया गया है। केन्द्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान (सी०ए०आर०आई०), इज्जतनगर, बरेली के द्वारा भी बताया गया है कि भारतीय पॉल्ट्री उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित है। इसी प्रकार भारत सरकार के द्वारा भी बताया गया है कि पॉल्ट्री उत्पादों को कोरोना संक्रमण फैलाने में शामिल नहीं पाया गया है। इसी तरह पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन (ओ०आई०ई०) के द्वारा भी बताया गया है कि चिकन खाने और कोरोना संक्रमण फैलाने में कोई संबंध नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और स्थायी प्राधिकरण (एफ०एस०एस०ए०आई०) द्वारा भी चिकन खाने से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है, से संबंधित सलाह जारी किया गया है।

डॉ० कुमार ने बताया कि इन्हीं वैज्ञानिक संस्थानों की अनुसंधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा इन उत्पादों अर्थात् मांस, मछली, अंडा, चिकन आदि की बिक्री को राज्य सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन में भी मुक्त रखा गया है एवं इससे संबंधित सभी दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। कुछ स्थानों पर दुकानों को खोलने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से भी सभी पुलिस अधीक्षकों को भी इस दिशा में आवश्यक निदेश दिया गया है। इसी प्रकार, पशु/पक्षी चारा एवं दाना की ढुलाई एवं इससे संबंधित दुकानों को खुले रखने का आदेश भी राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। परिणामस्वरूप अब इन दुकानों को खोलने एवं उत्पादों को बेचने एवं परिवहन में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो रही है।

डॉ० कुमार ने यह भी बताया कि बर्ड फ्लू, कोरोना आदि के वायरस 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मर जाते हैं। भारतीय घरों में हमलोग मांस, मछली को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पका कर खाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के वायरस नष्ट हो जाते हैं और यह खाना पूर्णतः सुरक्षित रहता है।

इस प्रकार, पशु, पक्षी, मछली के चारा/दाना की दुकानें, आवा-जाही, मछली जीरा एवं अंगुलिका उत्पादक इकाई, बिक्री की दुकानें, दूध एवं दुग्ध उत्पाद की बिक्री एवं प्रसंस्करण, अंडा, मुर्गी, मटन, मछली की बिक्री की दुकानों को लॉकडाउन की अवधि में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त सूधा के मिल्क पार्लरों को रात्रि 08:00 बजे तक खुले रखने का भी आदेश दिया गया है।